भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2672

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 **फाल्गुन**, **1946 (शक)**

केरल में रोजगार सुरक्षा

2672. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में बेरोजगारी दर की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा रोजगार की कमी, विशेषकर युवाओं और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) केरल में लंबित ईएसआई और ईपीएफ दावों का ब्यौरा क्या है, ऐसे कितने मामले अभी तक हल नहीं हुए हैं तथा इस प्रक्रिया में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों को सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड करने की सरकार की कोई योजना है ताकि श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा, कार्य स्थिति, बीमा और मजदूरी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने नारियल जटा, काजू और हथकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई पहल की है, जो केरल में रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केरल में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 11.4% से घटकर 2023-24 में 7.2% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं और शिक्षित कार्यबल सहित सभी की नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) केरल राज्य सहित देश भर में विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

ईएसआईसी दावों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल राज्य में 2,96,535 नकद लाभ भुगतान वितरित किए गए हैं। हालाँकि, 28.02.2025 तक केरल राज्य में केवल 2550 लाभ दावों का निपटान किया जाना है, क्योंकि कुछ दस्तावेज़ जैसे कि बीमित व्यक्तियों द्वारा दावों या जीवन प्रमाण पत्र या बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत न करना, नियोक्ताओं द्वारा अंशदान का रिटर्न प्रस्तुत न करना आदि उपलब्ध नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल क्षेत्र में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 14,48,174 ईपीएफ दावे प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से 12.03.2025 तक, 16,487 दावे लंबित हैं, जो कुल

दावों का 1.14% है। इसके अलावा, इनमें से केवल 1,792 ईपीएफ दावे आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में 20 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

ईएसआई अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना एवं उनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है।

ईएसआई निगम ने केरल राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करने के लिए दो नए 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल अर्थात परेंवरूर (जिला: एर्नाकुलम) और कट्टप्पना (जिला: इडुक्की) में एक-एक ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। ईएसआई निगम ने ईएसआईसी अस्पताल, उद्योगमंडल, जिला एर्नाकुलम को 100 से 150 बिस्तरों के उन्नयन हेतु मंजूरी दी है।

इसके अलावा, केरल में ईएसआईसी अस्पतालों जैसे आश्रमम, उद्योगमंडल और एझुकोण द्वारा यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, रुमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जो सेवाएं अस्पतालों में इन-हाउस उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें टाई-अप के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता में शामिल कर दिया गया है। ओएसएच संहिता में प्रवासी कामगारों सहित सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्रों, दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षण, कौशल में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जो प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो आधार से जुड़ा हुआ है। यह पोर्टल ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार को उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 04.03.2025 तक, प्रवासी कामगारों सहित 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई-श्रम पर पंजीकृत हैं।

*****